THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, please sit down. This is not the Zero Hour. I will not permit it and I am not permitting it... (*Interruptions*)... I am not permitting it. I would suggest that if the Members are not satisfied, I can allow an Half-an-hour Discussion on this. But I am not allowing any more time on this question... (*Interruptions*)...

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Kindly allow an Half-an-hour Discussion on this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You give it in writing and I will permit it.

श्री वीरेन जे0 शाह : मैडम, आपकी नजरे इनायत कीजिए।

उपसभापति : आप हाफ एन अवर में बोल लीजिए।

Next Question. Question No. 63.

Strike by Employees of Rural Banks

†*63. SHRI DIGVIJAY SINGH.
SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of existing rural banks along with staff, state-wise;

(b) whether it is a fact that thousands of rural bank employees went on strike for a day;

(c) if so, what are the issues involved leading to their strike;

(d) whether Government have made any negotiations with them to resolve the issues and to run the banks smoothly; and

(e) if so, what are the details thereof stating the present position with regard to the grievances of the rural banks employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) At present there are 196 Regional Rural Banks (RRBs) with a network of 14,543 branches in the country. The number of RRBs alongwith staff, State-wise, is given at Annexure. (*See* below).

(b) The RRB employees observed 1 day's token strike on two occasions i.e. on 24.8.93 and 2.9.93.

(c) The demands made during their strikes include, inter-alia, the following:—

(i) Early constitution of National Rural Bank (NRB)

(ii) Payment of arrears

(iii) Immediate wage revision

(iv) Pension in addition to CPF and Gratuity

(v) Halt to the move of Government for privatisation of Banks, Insurance Companies and other financial institutions

(vi) Bonus for all

(d) and (e) Government initiated a process of consultation for restructuring of Regional Rural Banks (RRBs). A number of alternative models have been considered in consultation with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)/Reserve Bank of India (RBI). Finance Minister also held a meeting on 7.10.1993 in New Delhi

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Digvijay Singh.

with Members of Parliament from different political parties to solicit their opinion in this regard.

As regards payment of arrears to employees, arising on account of the implementation of the National Industrial Tribunal (NIT) Award, the RRBs have not been able to pay the same due to their weak financial position. Other demands, such as immediate wage revision, pension in addition to CPF and Gratuity and Bonus for all, would require to be looked into by NABARD keeping in view the restructuring of the RRBs proposed.

ANNEXURE

State/U.T.	Latest available	
	No. of RRBs	No. of employees
Haryana	4	1685
Himachal Pradesh	2	577
Jammu & Kashmir	3	1195
Punjab	5	792
Rajasthan	14	4386
Arunachal Pradesh	1	67
Assam	5	2022
Manipur	1	106
Meghalaya	1	197
Mizoram	1	151
Naga land	1	33
Tripura	1	706
Bihar	22	7812
Orissa	9	4107
West Bengal	9	5196
Madhya Pradesh	24	6381
Uttar Pradesh	40	15076
Gujarat	9	1689
Maharashtra	10	2559
Andhra Pradesh ;	16	5837
Karnataka	13	5878
Kerala	2	2634
Tamil Nadu	3	1087
ALL INDIA :	196	70173

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभापति महोदया, जब ये रूरल बैंक्स की स्कीम इस देश में बनी थी, तो उसका एक ही उद्देश्य था कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है और उसका जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, वह ग्रामीण लोगों के हित का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। इसलिये ये रूरल बैंक इस देश में बनाया गया। अब मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि मंत्री जी ने अचानक इस पूरी परिभाषा को समाप्त करने का प्रयास क्यों किया है ? तर्क यह दिया जा रहा है कि कर्मचारियों की तरफ से ऐसी मांगें भी उठ रही हैं या उठायी जा रही हैं। यह मांग तो कर्मचारियों की पब्लिक सैक्टर में भी उठायी जा रही है कि पब्लिक सैक्टर को बन्द मत कीजिये, दूसरी इण्डस्ट्रीज को बन्द मत कीजिये । तो यह देश, मंत्रालय या सदन कोई ट्रेड यूनियन का हिस्सा तो है नहीं, इसलिये

मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर यह रूरल बैंक बनाया गया था, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति आप यह नया बैंक बनाकर कर पायेंगे ? मेरी जहां तक जानकारी है, मंत्री जी यह काम आप नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं। नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि आप बैंकों को इस तरह से बनायें कि एक तो वह अन्तर्राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखें और दूसरे राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखें । जब नेशनलाइज्ड बैंक्स रूरल बैंक्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरह के नेशनलाइज्ड बैंक्स, रूरल बैंक्स बनाकर आप इस की परिभाषा में कहां तक गांवों के लोगों के हितों का ध्यान रख पायेंगे, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

डा० अबरार अहमद : मैडम, माननीय सदस्य ने इन बैंकों को बनाने के उद्देश्य के बारे में जो बात कही है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि ग्रामीण बैंकों को बनाने के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य था, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये 196 बैंक्स हैं, जिनकी 14,539 ब्रांचेज हैं और उनमें 70,173 कर्मचारी काम करते हैं, उन 196 बैंकों में से 22 को छोड़कर बाकी सारी-की-सारी बैंक्स घाटे में चल रही हैं और घाटे में चलने के साथ-साथ उन बैंकों में मार्च, 1993 तक 919 करोड़ रूपए का एकुमुलटड लांस है, जबकि उनकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 149.29 करोड़ है । साथ ही पेड अप कैपिटल और दूसरी बात को छोड़ दें तो उनकी जो डिपाजिट की स्थिति मैंने बतायी है, उससे उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है, तो इन हालात के अन्दर उन बैंकों का किस प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग किया जाये, इस बारे में सरकार भी विचार कर रही है और विभिन्न पक्षों से भी इस बारे में मांग उठी है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कर्मचारी भी एक पक्ष है, उन बैंक्स के और सभी राजनैतिक दलों के नेता व अन्य सामाजिक वर्ग के नेता भी उसमें एक पक्ष हैं । और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी 7 अक्तूबर को माननीय वित्त मंत्री जी ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के सांसदों की एक मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि जो भी इस संबंध में हम निर्णय लेना चाहते हैं, वह सबकी राय से ही लेना चाहते हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस मीटिंग को बुलाया गया था और उसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसद आए थे । उन्होंने अपनी अपनी राय उसमें दी है । उस राय पर अभी विचार किया जा रहा है , किसी भी अन्तिम निर्णय पर सरकार नहीं पहुंची है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभापति महोदय, यह जो जवाब मंत्री जी ने दिया, यह तो लिखा ही हुआ था। मैंने अपनी बुनियादी बात पूछी थी कि आप करना चाहते हैं, जो उद्देश्य था राष्ट्रीयकृत बैंकों का, कि हम गांव के लोगों तक अपने बैंक को पहुंचाएंगे और यह तय हुआ था। वह जो आपका स्ट्रक्चर था पहले, वह उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहा था और इसलिए आपने रीजनल रूरल डवलपमेंट बैंक बनाया था। अब आप उसी को मर्ज कर रहे हैं। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, आप क्या करेंगे। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी, उपसभापति महोदया यह है कि आखिर मुझको आप यह बताएं कि जो आपका कमिटमेंट था हिन्दुस्तान के तीन लाख गांव से कि हम कम से कम 30 परसेंट इन्वेस्टमेंट का पैसा वहां तक पहुंचाएंगे, तो आपके पास कोई रेशो है कि आपने कितना पैसा कितने गांव तक पहुंचाया है ?

डा० अबरार अहमद : मैडम, मुझे माननीय सदस्य का सवाल बार-बार सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि क्यों इस बात का उनको भय है या क्यों ऐसा वह महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने जिन उद्देश्यों से ग्रामीण बैंकों को बनाया था सरकार उन उद्देश्यों से अलग हट रही है। मैंने पहले भी कहा कि उन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए, जिससे ग्रामीणों को फायदा मिले, इनका रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं और उद्देश्यों को खतम

नहीं करना चाहते । इसीलिए ही इस चीज में देरी लग रही है । सरकार हर वर्ग, हर पक्ष से विचार कर रही है । ग्रामीणों को लाभ मिले, जो इनका ओब्जेक्ट है वह बरकरार बना रहे, जो स्थिति बैंक की है वह भी सुधर सके, दोनों में सामंजस्य बैठे, तालमेल बैठे और लौस इसका कम हो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार हो रहा है। जो माननीय सदस्य ने ग्रामीणों तक पैसा पहुंचाने की बात कही है, सीधा-सीधा उसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार की हैं । नाबार्ड के माध्यम से, ग्रामीण बैंक के माध्यम से, नेशनलाइज्ड बैंकों के माध्यम से भी, जिसमें ग्रामीण स्कीमें होती हैं, उसके माध्यम से पैसा ग्रामीणों तक पहुंचाने का सरकार का उद्देश्य रहा है और है।

SHRI JAGESH DESAI: Madam Deputy Chairman, the Minister has given the real picture about the working of the rural banks. The losses are mounting. If I remember correctly, last year, the loss was about Rs. 250 crores and it may go up to Rs. 400 crores this year. And we have to go into what the reasons are for this. We have to see that the rural banks serve the rural people. At the same time, we have also to see one thing. Madam in this connection, I give only two examples about the over-staffing in these banks which is the real cause of the losses. Madam, in Kerala, there are two banks, and the total number of employees is 2,634. That means, for one bank, 1,300 people are employed. In Nagaland, for one bank, the total number of employees is 33. But in Tripura, for one bank, it is 708 employees. How are you going to see that this type of excess staff employed in the banks are removed? I had a discussion with the rural bank employees association. They told me that they are prepared to get transferred. I want to know whether by transferring the excess staff and having more rural banks you are going to see that these rural banks work properly and really serve the rural people.

डा० अबरार अहमद : मैडम, माननीय सदस्य ने बैंक के नुकसान में होने के कारण के संदर्भ में एक कारण ओवर-स्टाफिंग भी बताया है। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन यह एक ही कारण नहीं है बल्कि इन बैंकों के लौस में होने के कई कारण हैं और सरकार ने यह प्रयास किया है हाल ही में, कि इन कारणों को दूर किया जाए, जिससे कम से कम इन बैंकों का जो मुकसान है वह कम हो सके।

मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को उन कारणों में से कुछ कारण बताना चाहूंगा। उसमें पहले सितंबर, 1992 के अंदर जो ग्रामीण बैंकों को नए ऋण देने के संबंध में देय लक्ष्य ऋणों के लिए 40 परसेंट से भी अधिक उनका टारगेट बढ़ाया गया, जिससे उनके नुकसान कम किए जा सकें। इसके साथ ही साथ जितने भी स्पोनसोर्ड बैंक हैं उनको यह निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एस.एल.आर. और जो भी डिपोजिट हैं उन पर 13.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करें, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। इसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनको कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखे गए चालू बकाया खातों पर ब्याज दरों को पहली अप्रैल, 1993 से 6.5 से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया जाए। इसी तरह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस आशय की भी अनुमति दी गई है कि लघु और अति लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण देने के लिए 10 लाख रुपए तक की शत-प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता आयातित कर सकते हैं जिसमें परिव्यय 15 लाख रुपए तक हो। तो ऐसे काफी स्टैप उठाए गए हैं, उसमें से कुछ ये हैं, जिससे यह प्रयास किया गया है कि जो कारण नुकसान के हैं, उन कारणों को कम किया जाए और ओवर स्टाफिंग के बारे में जो आपने कहा है, वह भी उसमें से एक कारण है। इसके साथ ही साथ जो लोन की कॉस्ट है, क्योंकि ग्रामीण बैंक छोट-छोटे ऋण

देता है—पांच हजार के, दस हजार के, उसमें जो कॉस्ट आफ लोन आती है वह भी ज्यादा आती है, वह भी एक कारण है। तो उनको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदया, सरकार की नीति ऐसी हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उधार लगाने का काम ज्यादा खर्चीला हो रहा है। स्वाभाविक है कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो घाटा भी होता है। रही बात रेक्टिफिकेशन की, सरकार क्या कर रही है कि जो ग्रामीण बैंक हैं, उसपर कॉस्ट ज्यादा है, वह तो ग्रामीण बैंक चला रहे हैं, जहां मीडियम प्राफिट हो सकता है, उसको तो नेशनलाइज्ड बैंक चलाएं और जहां हाइएस्ट प्राफिट होगा, उसको फॉरेन बैंक चलाएं। तो क्या सरकार इसको जायज समझती है या इस सवाल पर विचार करेगी कि सभी बैंकों को पूरे भारत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अगर विदेशी बैंक आते हैं तो उनको भी कहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में उतने प्रतिशत वह भी लगाएं जितने प्रतिशत हमारा रूरल बैंक लगाएगा। उनको भी कहिए कि रेट आफ इंटरेस्ट को कम करें। अगर करें तो आएं हमारे यहां, स्वागत है और नहीं तो हाइएस्ट प्राफिट का रेंज उनको दें और लोएस्ट प्राफिट का रेंज यदि ग्रामीण या राष्ट्रीय बैंक को देंगे तो निश्चित है कि जो देश के लोग हैं, इनके विपरीत सरकार जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? इसी सिलसिले में इसको भी विचारें कि अगर ग्रामीण बैंक में घाटा लगता है तो इसको कुछ मीडियम, जहां पर ज्यादा प्राफिट होता है, उससे लिंक करें तभी तो बैलेंस किया जा सकता है। तो आप उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं, इसको स्पष्ट करें?

डा० अबरार अहमद : मैडम, मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो लोन का स्ट्रक्चर है और जिस तरह का लोन देने का कार्य ग्रामीण बैंकों के पास है, निश्चित रूप से उनके घाटे में होने का वह एक कारण है। लेकिन जहां माननीय सदस्य ने विदेशी बैंकों का जिक्र किया, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने अभी गतवर्ष में ही प्रियारिटी सैक्टर विदेशी बैंकों का 15 परसेंट से बढ़ाकर 32 परसेंट किया है, उसके अंदर हमने यह कंडीशन रखी है और वह प्रियारिटी सैक्टर इसलिए बढ़ाया है कि अगर वह 32 परसेंट से कम प्रियारिटी सैक्टर के अंदर देंगे तो 10 परसेंट, जो उसका रिमेनिंग बैलेंस है वह "सिडबी" के अंदर जमा कराया जाएगा। तो उस ओर भी, जो विदेशी बैंकों के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया, नेशनलाइज्ड बैंकों के बारे में जिक्र किया और ग्रामीण बैंकों के बारे में जिक्र किया, तीनों ही श्रेणियों के बैंकों के बारे में सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है और सरकार का पूरी तरह से ध्यान है।

श्री चतुरानन मिश्र : विचार कर रही है इस दिशा में कि बैलेंस हो सबका? उपसभापति जी, यह क्लियर नहीं हुआ है। इस दिशा में आप विचार कर रहे हैं कि, चाहे फॉरेन हो चाहे देशी, बैलेंस हो?

SHRIMATI KAMLA SINHA: Madam, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that Government is planning to close down the rural banks on the plea that the banks are making losses. The amount has been mentioned by the hon. Minister. If the Government is planning to close down the rural banks, what would happen to the workers, to the employees? Would they be redeployed in other banks? Or, would there be a National Rural Bank? I would like to know what Government wants to do about it.

डा० अबरार अहमद : मैडम, माननीय सदस्या ने यह जानना चाहा है कि क्या इन बैंकों को बंद करने के बारे में सरकार विचार कर रही है? तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार बंद करने के बारे में नहीं, इनके रि-स्ट्रक्चरिंग के बारे में विचार कर रही है:

श्रीमती कमला सिन्हा : मैडम, रि-स्ट्रक्चरिंग का पतलब क्या होता है, मैं जानना चाहूंगी ? ... (व्यवधान)

Potential of Hydro Electric Power Generation

*64. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:†

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the total hydro-electric power generation potential of Indian rivers and connected network in India;

(b) how far is it being utilised at present; and how much of it will further be put to use during the Eighth Five Year Plan period;

(c) which of the hydel power projects are presently lying half way; and which ones have been abandoned midway; and

(d) what are the reasons for abandonment/delay in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b) Central Electricity Authority has assessed the hydro-electric potential in India as 84044 MW at 60 per cent load factor. At present, hydro-electric capacity of 19,580 MW has been installed. The expected capacity addition during the Eighth Plan is 3864.65 MW.

(c) and (d) Out of 94 sanctioned Hydro-electric Projects, 13 Projects are progressing satisfactorily/nearing completion. 37 Projects are delayed and remaining 44 Projects are in preliminary stage of implementation. The details of these are given in the Annexure-I, II and III respectively.

Annexure-I

Projects progressing satisfactorily/Nearing completion.

(As on 1-12-1993)

Sl. No.	Name of Project/ State	Installed capacity MW
1		3
1.	Chamera St. I (NHPC) H.P.	3×180
2.	Nathpa Jhakri (NJPC) H.P.	6×250
3.	Kargil (J & K)	3×1.25
4.	Hasdeo Bango M.P.	3×40
5.	Koyna St. IV—Mah.	4×250
6.	Upper Silern II—A.P.	2×60
7.	Penna Ahobilam—A.P.	2×10

†Thequestion was actually asked on the floor of the House by Shri Rajni Ranjan Sahu.